(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2196–एक/2013 विरुद्व आदेश दिनांक 17–05–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर प्रकरण कमांक 323/बी–121/2010–11.

भवंरलाल पिता दौलतराम
निवासी – चौसला, तहसील दलौदा (नई आबादी)
जिला मंदसौर (म.प्र.) ——— आवेदक

विरूद्व

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
   जिला मंदसौर
2. मोहन सिंह पिता हरीसिंह एवं ग्रामवासी चौसला,
   तहसील दलौदा (नई आबादी)
   जिला मंदसौर ——— अनावेदकगण

(श्री के0के0 द्विवेदी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री एच0के0 अग्रवाल अभिभाषक – अनावेदक क्रमांक–1)

आ दे श

(आज दिनांक 4 अप्रैल,2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 323/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17–5–2013 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला मंदसौर के समक्ष अनावेदक क्रमांक–2 मोहनलाल एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा एक शिकायत पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम चौसला खेड़ादेव चबूतरा के नाम से देवस्थान है, जिसके पुजारी पद पर भंवरलाल पिता दौलतराम शर्मा नियुक्त है, किन्तु भंवरलाल पिता दौलतराम द्वारा खेड़ादेव की पूजा–अर्चना नियमित रूप से तथा त्यौहारों के समय पर नहीं की जाती है, इसलिये उक्त पुजारी को पद से पृथक कर खेड़ादेव चबूतरा मंदिर का नवीन पुजारी नियुक्त किया जाये। कलेक्टर, जिला मंदसौर द्वारा अनावेदक क्रमांक–2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र को अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर को प्रेषित कर निर्देश दिये कि वह प्रकरण की विधिवत् जॉच करें। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 323/बी–121/2010–11 पंजीबद्ध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के समक्ष

आवेदक द्वारा बताया कि ग्राम चौसला में एक खेड़ादेव चबूतरा है, जिसकी विधिवत् पूजा उसके परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती रही है एवं वर्तमान में वह पूजा कर रहा है। शिकायतकर्त्ताओं द्वारा आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत की है। शिकायतकर्त्ता मोहनसिंह एवं गोवर्धन सिंह का गाँव में बड़ा आतंक है तथा वह आये दिन आवेदक को परेशान करता रहता है। आवदेक तथा अनावेदक क्रमांक—2 के बीच पूर्व में झगड़ा हुआ था जिसमें राजीनामा के लिए अनावेदक दबाव डाल रहा है, इसलिए यह शिकायत की है। मोहनसिंह द्वारा पूर्व में गाँव के रामजानकी मंदिर एवं हनुमान मंदिर के पुजारियों को भी मारकर गाँव से भाग दिया। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक—2 द्वारा की गई शिकायत पूर्णतः फर्जी एवं जालसाजीकृत है। अतः की गई शिकायत निरस्त की जाये। यह भी उल्लेख किया कि खेड़ादेव चबूतरा शासकीय नहीं है, बल्कि एक प्रायवेट मंदिर है जिसका पुजारी नियुक्त करने अथवा हटाने का अधिकार शासन को नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—5—2013 को आवेदक की आपत्ति को अमान्य किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि ग्राम चौसला खेड़ादेव चबूतरा देवस्थान है जिस पर आवेदक भंवरलाल पुजारी था। शिकायतकर्त्ता अनावेदक क्रमांक—2 ने आवदेक के विरुद्ध व्यक्तिगत् झगड़े के कारण झूठी शिकायत की है। यह भी कहा कि उक्त देवस्थान निजी मंदिर है, शासकीय नहीं है। इस पर आवेदक को पुजारी भी शासन ने नियुक्त नहीं किया था तथा उसे हटाने का अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है इसलिए शिकायत पर जाँच कार्यवाही नहीं की जाय। अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि मंदिर शासकीय है तथा खसरा वर्ष 2009—10 में शासकीय मंदिर होकर कलेक्टर प्रबंधक दर्ज है, इसलिये पुजारी पर कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को पूर्ण अधिकार हैं। यह भी तर्क दिया कि ग्रामवासियों ने नायब तहसीलदार को आवेदन देकर आवेदक को पुजारी नियुक्त कराया था इसलिये उसे हटाने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17—5—2013 का अवलोकन किया। इससे प्रकट होता है कि खेड़ादेव चबूतरा ग्राम चौसला जिला मंदसौर पर आवेदक भंवरलाल पुजारी के संबंध में शिकायत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाँच प्रारंभ की गयी। आवेदक द्वारा आपत्ति की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रारंभिक जाँच पश्चात् यह पाया कि उक्त मंदिर पर वर्ष 2009—10 के खसरे में प्रबंधक कलेक्टर, मंदसौर दर्ज है, इसलिये आवेदक की आपत्ति निरस्त की एवं प्रकरण साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण हेतु निश्चित किया है। अभी आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17—5—2013 में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर